.–: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद :–

पीठासीन अधिकारी :– देवीलाल यादव (आर.ए.एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :– 91/2022

उनवान

1. अनिल पुत्र सम्पतलाल
2. उमराव सिंह पुत्र गोगराज
3. गौरी देवी पत्नी रंगलाल
4. जितेन्द्र पुत्र रंगलाल
5. पूजा पुत्री सम्पतलाल
6. प्रीतम पुत्र सम्पतलाल
7. मक्खनलाल पुत्र गोगराज
8. मंजू पत्नी सम्पतलाल
9. रामेश्वर पुत्र गोगराज
10. सरिता पुत्र रंगलाल समस्त जाति माली निवासी ग्राम जगपुरा, नसीराबाद

— प्रार्थीगण :– जरियें अधिवक्ता श्री हीरालाल माली

बनाम

1. सुमन पत्नी हरचन्द जाति कोली नि. वार्ड न. 4 रिसाला मण्डी, नसीराबाद
2. रोडमल पुत्र श्रवण जाति खटीक नि. ग्राम मण्डियानी, नसीराबाद

—— अप्रार्थीगण :– 1 से 2 जरियें अधिवक्ता श्री नितेश यादव

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम 1956 जरियें पुलिस इमदाद

दिनांक :– 1.10.24

–: आदेश :–

अधिवक्ता प्रार्थीगण ने उक्त आवेदन पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम जगपुरा के हाल खसरा नम्बर 224 रकबा 0.24 की आराजी प्रार्थीगण की खातेदारी की है जिस पर कदीम से प्रार्थीगण काबिज काश्त है। अप्रार्थीगण आये दिन आराजी मुतनाजा पर कब्जा का प्रयास कर प्रार्थीगण को हैरान परेशान करते है। ग्राम धोलादांता देराठु के खसरा नम्बर 85 व 84 की आराजी अप्रार्थीगण की खातेदारी आराजी है। उक्त आराजी का सीमाज्ञान पटवारी हल्का द्वारा ग्रामवासियों के समक्ष किया गया किन्तु दोनो ग्रामों की सीमा विवाद होने के कारण लडाई झगड होने की आंशका है। अतः आराजी मुतनाजा की पत्थरगढी राजस्व कार्मिको की टीम गठित कर के जरियें पुलिस इमदाद की जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने जवाब पेश कर नि[illegible] के खसरा नम्बर 224 प्रार्थीगण की खातेदारी की है। उक्त आराजी के उ[illegible] अप्रार्थीगण की भूमि स्थित है, जा ग्राम धोलादांता देराठू में स्थि[illegible] आराजी खसरा नम्बर 84 व 85 पर कय दिनाक से ही क[illegible] सरहद पर स्थित उक्त खसरा नम्बर का नाप मौके पर कम है। दोनो गांव की सरहद [illegible]त करवाने व ग्राम धोल[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 14:43:19 IST
Reason: SelfAttested

देराठू की सरहद का नाप ग्राम बारापत्थर की सरहद से व ग्राम जगपुरा की सरहद का नाम ग्राम मोतीपुरा की सरहद से करवाकर आराजी मुतनाजा की पत्थरगढी करवान के आदेश पारित करावे।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। ग्राम जगपुरा के खसरा नम्बर 224 रकबा 0.24 की आराजी प्रार्थीगण के नाम व ग्राम धोलादंता देराठू के खसरा नम्बर 84 रकबा 0.21 की आराजी अप्रार्थी संख्या 2 व खसरा नम्बर 85 रकबा 0.69 की आराजी अप्रार्थी संख्या 1 के नाम खातेदारी दर्ज है। उक्त आराजी ग्राम जगपुरा व धोलादांता देराठू दो भिन्न–भिन्न गांव में स्थित है।पूर्व में आराजी मुतनाजा का सीमाज्ञान दिनांक 23.6.22 को किया गया। उक्त दिनांक के मौका पर्चा में दोनो ग्राम की सीमा में विवाद होने की स्थिति का अंकन किया गया है जिसे स्पष्ट है कि आराजी मुतनाजा बाबत उभयपक्ष में विवाद है। दोनो ही पक्ष आराजी मुतनाजा की पत्थरगढी करवाना चाहते है। पत्थरगढी करने से उभयपक्ष के मध्य विवाद समाप्त होगा। पत्थरगढी की कार्यवाही से प्रार्थी व अप्रार्थी के हित प्रभावित नही होगे।

उक्तानुसार प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र **"स्वीकार"** किया जाता है। ग्राम जगपुरा के खसरा नम्बर 224 व ग्राम धोलादांता देराठू के खसरा नम्बर 84 व 85 पर पत्थरगढी के आदेश जारी किये जाते है। तहसीलदार नसीराबाद उक्त दोनो ग्राम की सरहद पर स्थित आराजी मुतनाजा की पत्थरगढी उभयपक्ष की विधिवत उपस्थिति में राजस्व कार्मिको की टीम गठीत कर करवाने की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 14:43:19 IST
Reason: SelfAttested